रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239638 CG-DL-E-13102022-239638

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4663] No. 4663] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2022

आयकर

का.आ. 4873(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना संख्या का.आ.2907(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्राधिकृत किया है ताकि वे उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्य के निष्पादन हेतु आदेश जारी कर सके।

- 2. जबिक, उक्त अधिसूचना के तहत प्राधिकृत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत संबंधित आयकर आयुक्तों (अपील) को आदेश जारी किए।
- 3. जबिक, फेसलेस अपील योजना, 2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 से लागू हुई जिससे फेसलेस अपील योजना, 2021 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 246(क) और 248 के अंतर्गत अपीलों के निपटान के लिए आयकर आयुक्तों (अपील) की नियुक्ति को आवश्यक बनाया।

6947 GI/2022 (1)

4. अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, निदेश देता है कि इस पत्र के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त (अपील), जिनके मुख्यालय अनुसूची के कॉलम 3 में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, इस अधिनियम की धारा 246(क) और 248 के अंतर्गत होने वाली अपीलों के संबंध में, जोकि इस अनुसूची के कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले और अनुसूची के कॉलम 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के वर्गों के मामलों में दायर की गई हों, शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्रमांक संख्या	आयकर अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	आयकर अधिकारी	मामले या मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5
1.	आयकर आयुक्त (अपील), मुंबई-55	मुंबई	मुंबई क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण) -1, मुंबई के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियां से
			आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) - 1, मुंबई	सभी मामले और संबंधित शास्तियां
2.	आयकर आयुक्त (अपील), मुंबई-56	मुंबई	मुंबई क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) -	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण) -2, मुंबई के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियों से संबंधित हैं
			2, मुंबई	शास्तियां
3.	आयकर आयुक्त (अपील), मुंबई-57	मुंबई	मुंबई क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण) -3, मुंबई के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियों से

			आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) - 3, मुंबई	सभी मामले और संबंधित शास्तियां
4.	आयकर आयुक्त (अपील), मुंबई-58	मुंब ई	मुंबई क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण) -4, मुंबई के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियों से
			आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) - 4, मुंबई	सभी मामले और संबंधित शास्तियां
5.	आयकर आयुक्त (अपील), अहमदाबाद- 13	अहमदाबाद	i) अहमदाबाद क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त ii)मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण) अहमदाबाद, के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियों से संबंधित हैं
			आयकर आयुक्त (आईटी और टीपी), अहमदाबाद	सभी मामले और संबंधित शास्तियां
6.	आयकर आयुक्त (अपील), पुणे-13	पुणे	i) पुणे क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त ii) नागपुर क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/ आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण) पुणे, के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित दंड से संबंधित हैं
			आयकर आयुक्त (आईटी और टीपी), पुणे	सभी मामले और संबंधित दंड
7.	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली-42	नई दिल्ली	आयकर आयुक्त (आईटी) -1, दिल्ली	सभी मामले और संबंधित दंड
8.	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली-43	नई दिल्ली	आयकर आयुक्त (आईटी) -2, दिल्ली और आयकर आयुक्त (आईटी) -3, दिल्ली की रेंज 3(1), दिल्ली	सभी मामले और संबंधित दंड

9.	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली-44	नई दिल्ली	(i) दिल्ली क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त (ii) राजस्थान क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त (iii) उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)- 1, दिल्ली, (अंतरण मूल्य निर्धारण)-2, अथवा (अंतरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियांसे संबंधित हैं
10.	आयकर आयुक्त (अपील), नोएडा-2	नोएडा	(i) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त ii) उत्तर प्रदेश (पूर्वी) क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण)-3, दिल्ली के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियांसे संबंधित हैं
			आयकर आयुक्त (आईटी) -3, दिल्ली की रेंज, देहरादून और रेंज, नोएडा	सभी मामले और संबंधित दंड
11.	आयकर आयुक्त (अपील), कोलकाता-22	कोलकाता	i)कोलकाता क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त iii) बिहार और झारखंड क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त / आयकर आयुक्त iv) ओडिशा क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण) - कोलकाता के अधीन एक अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है और अपील के एक या अधिक आधार आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X के तहत आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित शास्तियांसे संबंधित हैं
			आयकर आयुक्त (आईटी और टीपी), कोलकाता	सभी मामले और संबंधित दंड
12.	आयकर आयुक्त (अपील), हैदराबाद-10	हैदराबाद	i) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के सभी प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	सभी मामले जहां आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण) - हैदराबाद और आयकर (अंतरण मूल्य निर्धारण,)चेन्नई के अधीन आर्म लेंथ प्राइस से

				संबंधित एक या अधिक आधार और के अधीन एक अंतरण	
				मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा	
				आदेश पारित किया गया है	
				और अपील के एक या अधिक	
				आधार आयकर अधिनियम,	
				1961 के अध्याय X के तहत	
				आर्म लेंथ प्राइस और संबंधित	
				शास्तियांसे संबंधित हैं	
			194 - fe 93-c)	सभी मामले और संबंधित दंड	
			आयकर आयुक्त (आईटी और टीपी), हैदराबाद	। समा मामल आर संबाधत दंड 	
13.	आयकर आयुक्त	बेंगल्र	i) कर्नाटक और गोवा क्षेत्र के सभी	सभी मामले जहां आयकर	
13.	आयकर आयुक्त (अपील), बेंगलुरु-12	વગલુર	प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	आयुक्त (अंतरण मूल्य	
	(બવાલ), વગલુર-12		विश्वाम आयुक्ताजायकर आयुक्त	निर्धारण) -1, बेंगलुरु और	
				आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य	
			ii)केरल क्षेत्र के सभी प्रधान	निर्धारण) -2, बेंगलुरु के तहत	
			आयुक्त/आयकर आयुक्त	एक अंतरण मूल्य निर्धारण	
				अधिकारी द्वारा आदेश पारित	
				किया गया है और अपील के	
				एक या अधिक आधार आर्म्स से	
				संबंधित हैं आयकर अधिनियम,	
				1961 के अध्याय X के तहत	
				लंबाई मूल्य और संबंधित दंड	
			आयकर आयुक्त (आईटी), बेंगलुरु	सभी मामले और संबंधित दंड	
		c			
14.	आयकर आयुक्त	चेन्नई	i) तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र के सभी	सभी मामले जहां आयकर	
	(अपील), चेन्नई-16		प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त	आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान	
				और अंतरण मूल्य निर्धारण),	
				चेन्नई के अधीन एक अंतरण	
				मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा	
				आदेश पारित किया गया है	
				और आयकर अंतरण मूल्य	
				निर्धारण, चेन्नई के अधीन आर्म	
				लेंथ प्राइस से संबंधित अपील	
				के एक या अधिक आधार तथा	
				आयकर अधिनियम, 1961 के	
				अध्याय X के तहत आर्म लेंथ	
				प्राइस और संबंधित शास्तियांसे संबंधित हैं।	
			आय कर आयुक्त (आईटी), चेन्नई	सभी मामले और संबंधित दंड	

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या.113/2022/फा. सं. 279/विविध./66/2014-आईटीजे (पार्ट.)] तनय शर्मा, डीसीआईटी (ओएसडी), आईटीजे-I, सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2022

INCOME-TAX

- **S.O.** 4873(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes authorized Principal Chief Commissioners of Income-tax specified in column (2) of Schedule to the notification number S.O. 2907(E) dated the 13th November, 2014, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by all or any of the income-tax authorities specified in column (4) of the Schedule annexed to the said notification.
- 2. Whereas, the Principal Chief Commissioners of Income-tax authorized under the said notification issued orders to the respective Commissioners of Income-tax (Appeals) under their respective jurisdiction.
- 3. Whereas, the Faceless Appeal Scheme, 2021 came into force from 28th December, 2021, which necessitated designation of Commissioners of Income-tax (Appeals) to deal with the appeals arising under section 246A and 248 of the Act falling under the Faceless Appeal Scheme, 2021.
- 4. Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (Appeal) specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, having their headquarters at the places specified in corresponding entries in column (3) of the Schedule, shall exercise the powers and perform the functions in respect of appeals arising under section 246A and 248 of the Act, filed in cases of classes of cases specified in column (5) of the Schedule and falling within the jurisdiction of the Income-tax authorities specified in column (4) of the Schedule:

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income-tax Appellate Authority	Headquarters	Income-tax Authorities	Cases or Classes of cases
1	2	3	4	5
1.	1. Commissioner of Income-tax (Appeals), Mumbai-55	Mumbai	All Principal Commissioners/ Commissioner of Income-tax of Mumbai Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-1, Mumbai and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income Tax (International Taxation)-1, Mumbai	All cases and related penalties
2.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Mumbai- 56	Mumbai	All Principal Commissioners/ Commissioner of Income-tax of Mumbai Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)- 2, Mumbai and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2, Mumbai	All cases and related penalties

3.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Mumbai- 57	Mumbai	All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Mumbai Region Commissioner of Income Tax (International Taxation)-3, Mumbai	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-3, Mumbai and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties All cases and related penalties
4.	4. Commissioner of Income-tax (Appeals), Mumbai-58	Mumbai	All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Mumbai Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer Pricing)-4, Mumbai and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income Tax (International Taxation)-4, Mumbai	All cases and related penalties
5.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Ahmedabad-13	Ahmedabad	i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Ahmedabad Region ii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer pricing), Ahmedabad and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT and TP), Ahmedabad	All cases and related penalties
6.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Pune-13	Pune	i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Pune Region ii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Nagpur Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer pricing), Pune and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT and TP), Pune	All cases and related penalties
7.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Delhi-42	New Delhi	Commissioner of Income-tax (IT)-1, Delhi	All cases and related penalties
8.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Delhi-43	New Delhi	Commissioner of Income-tax (IT)-2, Delhi and Range 3(1) of Commissioner of Income-tax (IT)-3, Delhi	All cases and related penalties
9.	Commissioner of Income-tax	New Delhi	(i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing

	(Appeals), Delhi-44		Delhi Region	Officer under Commissioners
			(ii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Rajasthan Region	of Income-tax (Transfer pricing)- 1, Delhi, (Transfer pricing)- 2, Delhi or (Transfer pricing)-3, Delhi and one or more grounds of appeal relate
			(iii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of North West Region	to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
10.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Noida-2	Noida	(i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Uttar Pradesh(West) Region ii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Uttar Pradesh(East) Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer pricing)-3, Delhi and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Range, Dehradun and Range, Noida of Commissioner of Income-tax (IT)-3, Delhi	All cases and related penalties
11.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Kolkata- 22	Kolkata	i) All Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax of Kolkata Region ii)All Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax of North East Region iii) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Bihar and Jharkhand Region iv) All Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax of Odisha Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer pricing), Kolkata and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT and TP), Kolkata	All cases and related penalties
12.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Hyderabad-10	Hyderabad	i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Andhra Pradesh and Telangana Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer pricing), Hyderabad and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT and TP), Hyderabad	All cases and related penalties
13.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Bengaluru-12	Bengaluru	i)All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Karnataka and Goa Region ii)All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Kerala Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer pricing)-1, Bengaluru & Commissioner of Income-tax (Transfer pricing)-2, Bengaluru and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax

				Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT), Bengaluru	All cases and related penalties
14.	Commissioner of Income-tax (Appeals), Chennai- 16	Chennai	i) All Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax of Tamil Nadu and Puducherry Region	All cases where order has been passed by a Transfer Pricing Officer under Commissioner of Income-tax (Transfer pricing), Chennai and one or more grounds of appeal relate to Arm's length price under Chapter X of Income-tax Act, 1961 and related penalties
			Commissioner of Income-tax (IT), Chennai	All cases and related penalties

^{2.} This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

[Notification No. 113/2022/F.No. 279/Misc./66/2014-ITJ(Pt.)] TANAY SHARMA, DCIT(OSD), ITJ-I, CBDT